PH 0788- 2283849, 2226592

M.G.M. Senior Secondary School

[Estd : 1965]

(Affiliated to Central Board of Secondary Education, New Delhi Under 10+2 Pattern)

Sector - VI, Bhilai, Durg (Dist) - 490 006, Chhattisgarh

Ref. MGM/SSS/2021-22/373 दिनांक – 08/12/2021

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी,
कार्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

विषयः– छ.ग.निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 एवं छ.ग. अशासकीय (विद्यालय) फीस विनियमन अधिनियम 2020 से पृथक करने के संबध में निवेदन बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि हमारी शैक्षणिक संस्था एम.जी.एम.सीनियर सेकेण्डेरी स्कूल सेक्टर– 6 भिलाई , समिति का नाम मार ग्रिगोरियस आर्थोडॉक्स सिरियन चर्च भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.) को छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग नया रायपुर (छ.ग.) द्वारा आदेश क्र./अ.सं.मा./151-53/2021-22/2638 रायपुर, दिनांक 11/08/2021 के अन्तर्गत धार्मिक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की "स्थायी मान्यता" प्रमाण–पत्र प्राप्त हो चुकी है।

अतः मान्यवर से अनुरोध है कि हमारी संस्था को छ.ग.निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 एवं छ.ग. अशासकीय (विद्यालय) फीस विनियमन अधिनियम 2020 से पृथक करने की कृपा करें।

भवदीय

राजन कॉरेस्पांडेंट
HON. CORRESPONDENT
M.G.M. SENIOR SECONDARY SCHOOL
SECTOR-VI, BHILAI (C.G.)
(कॉरेस्पांडेंट)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग (छ.ग.) 07/12/21

संलग्न :– संस्था को प्राप्त धार्मिक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्थायी मान्यता पत्र की प्रतिलिपि।

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

ब्लॉक 4डी, भूतल, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ0ग0)
website - www.tribal.cg.gov.in
E mail - ctd.cg@nic.in

क्र./अ.सं.मा./151–53/2021–22/2638 रायपुर, दिनांक 11/08/2021

//आदेश//

छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के संशोधन आदेश कमांक एफ–20–57/2008/25–3/आजाक नया रायपुर, दिनांक 19 जनवरी 2017 के तहत प्रदत्त अधिकार एवं संबंधित **जिला कलेक्टर – दुर्ग (छ0ग0)** के सत्यापन एवं जांच प्रतिवेदन के आधार पर अधोलिखित शैक्षणिक संस्था को धार्मिक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की निम्नांकित शर्तों के अधीन **"स्थाई मान्यता"** प्रदान की जाती है :–

क्रं0	जिला	अशासकीय संस्था /समिति का नाम	पंजीयन क्रं0 दिनांक	शैक्षणिक संस्था का नाम	प्रारम्भ वर्ष	विशेष
1	2	3	4	5	6	7
1	दुर्ग	मार ग्रिगोरियस आर्थोडॉक्स सिरियन चर्च भिलाई, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	4219 दिनांक 22.03.1975	एम.जी.एम.सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, सेक्टर–6 भिलाई, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	1975	—

शर्ते :–

1 गैर अनुदान प्राप्त तथा अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओ में प्रवेश केवल अल्पसंख्यक समुदाय तक ही सीमित नही रहेगा, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदको को प्रवेश में प्राथमिकता दी जा सकेगी। परन्तु इस संबंध में संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियम बाध्यकारी होगें एवं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग नई दिल्ली (NCMEI) द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाए।

2 शैक्षणिक संस्थाओ द्वारा पूर्णतः धार्मिक निर्देश/शिक्षा प्रदाय नही किया जावेगा।

3 संस्था द्वारा यह भी अनिवार्य रूप से पालन किया जावेगा कि, अल्पसंख्यको द्वारा चलाई जा रही संस्था होने का (Privilege) दुरूपयोग/अनुचित लाभ किसी व्यक्ति या संस्था के लिये नही करेंगी।

4 संस्था, किसी विद्यार्थी को बिना उनके अभिभावकों की पूर्व लिखित सहमति किसी विशेष धार्मिक प्रवचन/पूजा के लिये बाध्य नहीं करेगें।

5 संस्थाओं में भर्ती के लिए चयन प्रकिया हेतु विश्वविद्यालय/मण्डल तथा राज्य शासन के नियम/निर्देश लागू होगें, निर्धारित शैक्षणिक अहर्ता में शिथिलता नहीं दी जावेगी। योग्य शिक्षक एवं अन्य अमले हेतु भर्ती करने की स्वतंत्रता रहेगी, परन्तु सलाह दी जाती है, कि शिक्षको तथा अन्य अमलों का चयन खुली (Open) विज्ञप्ति से एवं पारदर्शी प्रकिया से किया जाये।

6 शैक्षणिक संस्था के प्रशासन एवं प्रबंधन के लिये नियम रहेंगे जिसमें संस्था संबंधित संचालनालय/ मण्डल/विश्वविद्यालय से सम्बद्धीकरण आदि का स्पष्ट उललेख होगा, शिक्षकों की सेवा शर्ते तथा योग्यता निर्धारित करते समय संस्था द्वारा सामाजिक एवं साम्प्रदायिक सद्भावना बनाये रखा जायेगा।

//क्रमशः//

7 संस्था का वैध पंजीयन होना अनिवार्य होगा। इस हेतु आवेदक संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।

8 संस्था द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की सत्यता का उत्तरदायित्व संबधित आवेदक संस्था का होगा।

9 संस्था के शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय अमले के लिये अनुशासन, नियम बनाते समय प्राकृतिक न्याय का ध्यान रखा जाये, संस्था के उत्कृष्ट प्रशासन का ध्यान रखा जाये, शैक्षणिक संस्थाओं के लिये जो अन्य सामान्य नियम है वह भी लागू होंगे ।

10 संस्था की प्रबंधकारिणी में अधिकांश अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य रहेंगे, यह सुनिश्चित किया जावे। साथ ही संवैधानिक प्रावधानो के अनुरूप केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियम भी लागू होंगे।

11 किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को विश्वविद्यालय/मण्डल से सम्बद्धीकरण के लिये प्रवेश मे वरीयता का आधार, शिक्षा की उत्कृष्ठता, प्रवेश की सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी प्रणाली, आवश्यक भौतिक संरचना, पाठयक्रम तथा शैक्षणिक गुणवत्ता आदि की पूर्ति का ध्यान रखा जाना होगा।

12 गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओ को इस विषय में राज्य शासन द्वारा जारी नीति तथा निर्देशों के अतंर्गत रहते हुये शिक्षण शुल्क लेने की स्वतंत्रता होगी परन्तु अनुचित लाभ अर्जन नही किया जा सकेगा, "केपीटेशन फीस" लिये जाने की अनुमति नही होगी, इस संबंध में विभिन्न याचिकाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/निर्देश लागू होंगे।

यदि संस्था द्वारा उपरोक्त नियमो/निर्देशो का उल्लंघन करते पाया जाता है तो मान्यता निरस्त किया जा सकेगा।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(ए.के.गढ़ेवाल) 11/8/21
अपर संचालक
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)

पृ0 क्र./अ.सं.मा./151–53/2021–22/2639 रायपुर, दिनांक 11/08/2021

प्रतिलिपि :–

1 **सचिव**, छ0ग0 शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ0ग0)।

2 **सचिव,** छ0ग0 शासन, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर (छ0ग0)।

3 **कलेक्टर**, जिला–दुर्ग (छ0ग0)।

4 **सहायक आयुक्त,** आदिवासी विकास, जिला– दुर्ग (छ0ग0) को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5 **सचिव,** छ0ग0 राज्य, अल्पसंख्यक आयोग, पुराना नर्सेस हॉस्टल, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ0ग0)।

6 संस्था– मार ग्रिगोरियस ऑर्थोडॉक्स सिरियन चर्च भिलाई द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्था–एम.जी.एम. सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, सेक्टर–6 भिलाई जिला दुर्ग (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ।

अपर संचालक
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)

34